

2027 का बहाना 2029 पर निशाना

उग्र की राजनीति में वर्तमान के सहारे भविष्य की ओर देख रही कांग्रेस

प्रवेश कुमार मिश्र
नई दिल्ली, 18 सितंबर. उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर सपा व कांग्रेस के बीच जारी सीट बंटवारे पर चर्चा महज सीटों का अंकगणित नहीं है बल्कि यह 2027 के बाद 2029 के लिए तैयार की जाने वाली राजनीतिक जमीन है.

सूत्रों की मानें तो सपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बहुस्तरीय बैठकों से साफ हो गया है कि परेशानी सिर्फ नंबर गेम तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों दलों के बीच की चिंता वर्तमान से कहीं ज्यादा भविष्य के राजनीतिक वर्चस्व से जुड़ी है.

इस चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई प्रांतीय जमीन वापस पाने के साथ-साथ दीर्घकालिक रणनीति को सफल करने की मुहिम में लगी है. इसी वजह से वह चुनी हुई सीटों पर विशेष नजर रखे हुए है ताकि उसका स्ट्राइक रेखा रहे. जबकि सपा का पूरा ध्यान भविष्य के बजाय तात्कालिक रूप से किसी भी सूरत में लखनऊ को सत्ता हासिल करने की योजना पर है. क्योंकि सपा का थिंक टैंक इस व्यावहारिक सच को जानता है कि भाजपा जैसी मजबूत सत्ता को हराने के लिए स्ट्राइक रेखा का सौ फीसदी होना जरूरी है. यही कारण है कि सपा 2017 जैसी गलती दोबारा दोहराने के पक्ष में नहीं है, जब कांग्रेस को 105 सीटें देने से गठबंधन का गणित बिगड़ गया था. राजनीतिक जानकारों की मानें तो



विधानसभा चुनाव में 80 से 85 सीट दे सकती है सपा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस से उन सभी सीटों पर उम्मीदवारों का त्रिस्तरीय पैनाल और बूथ ऑडिट मांग रहे हैं, जिन पर कांग्रेस दावा कर रही है. सपा का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस भले ही अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और 2029 के रोडमैप पर काम करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर एक सीट पर केवल जीतने की क्षमता को ही एकमात्र पैमाना बनाया जाएगा. इसलिए कांग्रेस के 115 सीटों की मांग को सपाईं वार्ताकार रामगोपाल यादव खींच कर 80 से 85 तक ले जाने के प्रयास में हैं.

कांग्रेस व सपा के बीच एक बड़ा रणनीतिक विरोधाभास भी उभर रहा है. कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना और आक्रामक सोशल जस्टिस के एजेंडे को लेकर चल रही है, जिससे राज्य स्तर पर उसका पारंपरिक सवर्ण मतदाता थोड़ा असहज महसूस कर रहा है. बावजूद इसके राहुल गांधी की कोर टीम और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के नए रणनीतिक रुख में कांग्रेस का नया आंतरिक आकलन यह है कि मायावती के कमजोर होते जनाधार से छिटक रहे दलित मतदाताओं का एक बड़ा धड़ा अब स्वतंत्र राष्ट्रीय नेतृत्व की तलाश में है. कांग्रेस जानती है कि ग्रामीण स्तर

पर कई स्थानों पर दलित और पिछड़ी जातियों के बीच स्थानीय सामाजिक तनाव मौजूद रहता है. ऐसे में दलित मतदाता सोधे सपा के साइकिल पर सवार होने बजाय कांग्रेसी हाथ से हाथ मिलाता सहज महसूस करता है. जबकि सपा इस खाली हो रही राजनीतिक जमीन को भांपकर बहुत ही खामोशी से ऑपरेशन पंडित के तहत ब्राह्मणों को जोड़ने की आक्रामक मुहिम चला रही है.

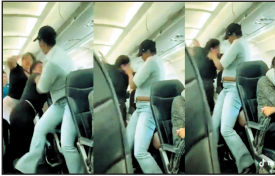
अखिलेश यादव ने अपने पीडीए नारे में पी का अर्थ पंडित बताकर सवर्णों को यह संदेश देने की पुरजोर कोशिश की है कि भाजपा राज में वे उपेक्षित हैं.

हवा में हाथापाई! लंदन-ढाका फ्लाइट में भिड़े दो यात्री

झगड़े से विमान में मचा बवाल, वीडियो वायरल

नवभारत न्यूज नेटवर्क
ढाका, 18 सितंबर. विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की लंदन से बांग्लादेश जा रही उड़ान में दो पुरुष यात्रियों के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है. घटना के दौरान विमान में मौजूद यात्रियों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

अन्य सवारियों और कैबिन क्रू ने हस्तक्षेप करके दोनों को अलग किया. उड़ान के दौरान दोनों यात्रियों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हुई थी. कुछ समय बाद यह बातचीत तीखी बहस में बदल गई. देखते ही देखते दोनों ने एक-दूसरे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया. हाथापाई के दौरान एक यात्री की टी-शर्ट भी फट गई. घटना के समय विमान में



अन्य यात्रियों के साथ बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे. अचानक हुए विवाद से आसपास बैठे लोग घबरा गए. स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए सहयात्रियों ने आगे बढ़कर दोनों यात्रियों को अलग करने की कोशिश की. कैबिन क्रू ने भी मामले को नियंत्रित करने में हस्तक्षेप किया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. विमान बांग्लादेश एयरलाइंस के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि एयरलाइन को मामले की पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है.

इंडिगो ने बढ़ाए कई सर्विस चार्जस

बच्चों के टिकट से लेकर लगेज तक किया महंगा

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 18 सितंबर. घरेलू हवाई यात्रा करने वाले इंडिगो के यात्रियों के लिए अब कुछ अतिरिक्त सेवाएं पहले के मुकाबले महंगी होंगी.

एयरलाइन ने शिशु टिकट, अतिरिक्त सामान, प्रायोरिटी चेक-इन एवं बोर्डिंग सहित कई सुविधाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की है. इसका सीधा असर उन यात्रियों के खर्च पर पड़ेगा, जो निर्धारित सीमा से अधिक सामान या अतिरिक्त सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं.

बिना अलग सीट वाले शिशुओं के लिए टिकट शुल्क में



अतिरिक्त सामान पर रु.800 प्रति किलोग्राम लगेगा शुल्क

निर्धारित ग्रेज सीमा से ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों की भी अब अधिक भुगतान करना होगा. अतिरिक्त लगेज का शुल्क रु. 700 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 800 कर दिया गया है.

नेपाल में बिना पासपोर्ट घूम सकेंगे पर्यटक

इमिग्रेशन विभाग ला रहा नया सिस्टम



नवभारत न्यूज नेटवर्क
काठमांडू, 18 सितंबर. नेपाल का इमिग्रेशन विभाग एक ऐसी व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, जिससे विदेशी नागरिकों को पूरे हिमालयी देश में घूमने के लिए अपना फिजिकल पासपोर्ट साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी. विभाग ने इस सिस्टम को 'पासपोर्ट-फ्री ट्रेवल' नाम दिया है.

विभाग का कहना है कि इसका मकसद नेपाल में विदेशी नागरिकों के ठहरने को और अधिक सुविधाजनक बनाना है. इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए विदेशी नागरिकों को नेपाल पहुंचने के बाद अपने मोबाइल में इमिग्रेशन विभाग की आधिकारिक ऐप इंस्टॉल करनी होगी और उसमें जरूरी जानकारी भरनी होगी, जिसमें पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और बीजा की डिटेल भी शामिल है. विभाग के

डायरेक्टर जनरल राम चंद्र तिवारी ने कहा, 'फिर वे बिना फिजिकल पासपोर्ट लिए पूरे देश में आजादी से घूम सकते हैं.' विभाग ने बताया कि यह ऐप एंड्रॉयड और एप्पल आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

एक बार ऐप पर अपनी डिटेल रजिस्टर करने के बाद विदेशी नागरिकों को घरेलू उड़ानों में सवार होते समय, मनी एक्सचेंज काउंटर पर करेंसी बदलते समय, होटल में चेक-इन करते समय या

ट्रेकिंग एजेंसियों के जरिए यात्रा की व्यवस्था करते समय अपना फिजिकल पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी. राम चंद्र तिवारी ने कहा, 'उदाहरण के लिए, यात्रा के दौरान जो लोग अपना पासपोर्ट होटल में भूल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे नहीं दिखा पाते, तो ऐप पर अपनी जानकारी अपडेट करके नेपाल के अंदर रहते हुए पासपोर्ट होटल या कहीं और भूलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

16 वर्षीय लड़की की ऑटो में रेप के बाद नृशंस हत्या

तीन नाबालिग समेत चार आरोपी पकड़े गए

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 18 सितंबर. राष्ट्रीय राजधानी में 16 वर्षीय लड़की से रेप के बाद चाकू घोंपकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

पुलिस ने कारवाई करते हुए चार आरोपियों को पकड़ा है. इनमें तीन आरोपी नाबालिग हैं. जानकारी के मुताबिक, टैपो में सवार होकर साथ गई नाबालिग लड़की के साथ तीन नाबालिगों सहित चार लोगों ने बलात्कार किया. फिर उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी और शव को खुले खेत में फेंक दिया. पुलिस ने

बताया कि संश्रियों में से तीन ने लड़की के साथ रेप किया. चौथे संश्रिध में बताया कि वह यौन हमले में शामिल नहीं था, लेकिन हत्या में शामिल था. यह घटना 12 सितंबर को हुई. अगली सुबह पुलिस को कुश्क रोड के पास एक खुले मैदान में लाश पड़े होने की सूचना मिली. एक टीम मौके पर पहुंची और लाश बरामद की. जांच के दौरान, पुलिस ने अपराध के संभावित समय के आसपास इलाके में एक टेम्पो को आते-जाते देखा. हालांकि, अंधेरे के कारण उसका रजिस्ट्रेशन नंबर साफ तौर पर पता नहीं चल सका.

►एक नजर में◄

बंगाल उपचुनाव में भाजपा ने उतारे 40 स्टार प्रचारक

कोलकाता. भाजपा ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए व्यापक चुनाव प्रचार योजना तैयार की है. इसके तहत उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए करीब 40 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया है. इस सूची में राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी और अभिनेता से नेता बने मिश्रन चक्रवर्ती के अलावा राज्य एवं केंद्र के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं. पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की जारी स्टार प्रचारकों की सूची में दिलीप घोष, सुकांत मजुमदार, राहुल सिन्हा, शान्तनु दाकुर, लॉकेट चटर्जी, अभिनमित्रा पॉल, निशोथ प्रमाणिक, अशोक डिंडा और सोमेंद्र अधिकारी सहित कई अन्य नाम शामिल हैं. इस प्रचार टीम में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के प्रदाधिकारियों के साथ-साथ सांसदों, विधायकों और प्रमुख चेहरों को जगह दी गयी है.

पीएम मोदी 51 हजार युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को रोजगार मेला कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में वर्चस्व युवाओं को 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नव-वर्षयनित अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे. यह रोजगार मेला देश के 45 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नए भर्ती हुए युवा भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं.

हस्तियों के दबीट



तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं के सहयोग से पहले विपक्षी दलों के विधायक-सांसद तोड़े और इसके बाद मुख्यमंत्री समेत सरकार भी गिराई. तेजस्वी ने दावा किया कि अब विपक्षी पार्टियों के नाम, चुनाव विह्वल और बैक खातों पर भी कब्जा की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के मार्गदर्शन और चुनाव आयोग के निर्देशन में शिवसेना, पनसीपी और एलजेपी के बाद टीएमसी के साथ भी ऐसा किया गया.



महिंद्रा युग के सीईओ ने महिंद्रा लारट माइल मोबिलिटी के लिए बड़ी उपलब्धि साझा की है. उन्होंने बताया कि यूके के 'संडे टाइम्स' के अनुसार, महिंद्रा लारट माइल मोबिलिटी को प्रिस ऑफ दैवेंस के 'अर्थशेिट प्राइज' के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. कंपनी 15 फाइनलिस्ट में शामिल है और इस पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कंपनी बताई गई है. अर्थशेिट प्राइज का उद्देश्य धरती को बेहतर बनाने वाले समाधानों को पहचानना और बड़े स्तर पर लागू करना है. 10 लाख पाउंड के इस पुरस्कार के पांच विजेताओं की घोषणा नवंबर में मुंबई में की जाएगी.

एफसीआरए पर जेपीसी में विपक्षी सदस्यों ने उठाए बिल पर सवाल

► शक्ति का दुरुपयोग होने का विपक्ष ने किया दावा

नवभारत न्यूज
नई दिल्ली, 18 सितंबर.विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक, 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की पहली बैठक शुक्रवार को भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल की अध्यक्षता में संसद भवन में संपन्न हुई.

डॉ. जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधेयक के तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. उस 31 सदस्यीय समिति में संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें 21

सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल हैं. बैठक के दौरान गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों और संशोधनों की रूपरेखा पर विस्तृत जानकारी दी.विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के कठोर प्रावधानों पर अपनी गंभीर आपत्तियां दोहराईं. विपक्ष का मुख्य विषय उस प्रस्तावित नियम को लेकर है, जिसके तहत सरकार द्वारा नियुक्त नामित प्राधिकरण को बिना किसी पूर्व न्यायिक अनुमति या अदालती आदेश के एनजीओ की संपत्तियों, जैसे स्कूल, अस्पताल और शोध संस्थानों को अपने नियंत्रण में लेने या उन्हें बेचने का असीमित अधिकार मिल जाएगा.

108 साल पुराने ओलंपिया का लाइसेंस सस्पेंड

एफडीए को जांच में मिले कॉकरोच, मक्खियां

नवभारत न्यूज नेटवर्क
मुंबई, 18 सितंबर. मुंबई के मुंबहूर 108 साल पुराने ओलंपिया कॉफी हाउस का फूड लाइसेंस महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया है. 16 सितंबर को ग्राहक की शिकायत के बाद एफडीए की टीम ने ओलंपिया कॉफी हाउस का निरीक्षण किया.

कोलाबा स्थित रेस्टोरेंट की जांच में सफाई और खाने के रखरखाव से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं. एफडीए के मुताबिक, फूड स्टोरेज एरिया और किचन में यूरिनल मिला. यहां कॉकरोच और मक्खियां भी पाई गईं. फ्रिज में मांस का खून मिला. कच्चे वेज और नॉनवेज खाने को अलग रखने की उचित व्यवस्था भी



नहीं थी. जांच में खाना फर्श पर रखना, गंदे पानी का इस्तेमाल और अस्वच्छ तरीके से खाना बनाने जैसी कमियां मिलीं. बर्तन धोने की जगह गंदी थी और खाना काटने वाले लकड़ी के चाँपिंग बोर्ड भी खराब हालत में थे. कर्मचारियों के लिए जरूरी सुरक्षात्मक कपड़े भी नहीं मिले. एफडीए के मुताबिक, रेस्टोरेंट में 35 फूड हैंडलर काम करते हैं. इनमें 34 ने जरूरी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं ली थी. जांच में पानी की अनिवार्य रिपोर्ट और सैनिटेशन रिकॉर्ड भी

सोनीपत से दिल्ली तक दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन
नई दिल्ली. भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन के परिचालन का दायरा बढ़ाने पर रेलवे विचार कर रहा है. फिलहाल यह ट्रेन हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जौड़-सोनीपत रेलखंड पर संचालित हो रही है. अब इसे दिल्ली तक ले जाने के विकल्प पर काम किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, 2,600 यात्रियों की अधिकतम क्षमता वाली इस 10 कोच की ट्रेन में जौड़ से सोनीपत तक करीब 40 से 60 यात्री ही यात्रा कर रहे हैं. फिलहाल यह सेवा एक राउंड ट्रिप प्रतिदिन कर रही है. जबकि शुरुआत में दो राउंड ट्रिप चलाने की योजना थी. रेलवे अब इसके संभावित विस्तार के लिए दिल्ली के आजादपुर स्टेशन तक परिचालन की संभावना पर विचार कर रहा है. आजादपुर क्षेत्र में बड़ा थोक फल एवं सब्जी बाजार है. अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली तक पहुंच बढ़ने से ट्रेन के उपयोग का दायरा बढ़ सकता है.



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

मुख्य कार्यालय : प्लेट ए, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-क्यू
ईस्ट किडवॉई नगर, नई दिल्ली - 110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सार्वजनिक नोटिस
भर्ती से जुड़े घोषाघड़ी वाले संदेशों/सूचनाओं से सावधान रहें

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) नौकरी के उम्मीदवारों और आम लोगों को EPFO के नाम पर जारी किए गए नकली आईटिमेंट/ऑनर लेटर, कॉल/इंटरव्यू लेटर, प्रचलन पत्र और घोषाघड़ी वाले अन्य संदेशों/सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह देता है। EPFO में पदों के लिए भर्ती केवल तब और विधिवत अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है और, जहाँ लागू हो, UPSC, SSC, IBPS आदि जैसी अधिकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। EPFO निजी व्यक्तियों, एजेंटों, बिचौलियों या अनधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं करता है, और न ही वह किसी को भर्ती, नियुक्ति, दस्तावेज सत्यापन, जॉइनिंग या पोस्टिंग के लिए ऐसे मांगने या इकट्ठा करने के लिए अधिकृत करता है।

आम जनता को सलाह दी जाती है कि:

- भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी सिर्फ EPFO की आधिकारिक वेबसाइट और संबधित भर्ती एजेंसी की वेबसाइट से ही वेरिफाई करें।
- भर्ती या नियुक्ति के सिलसिले में पैसे की मांग पर कोई पेमेंट न करें और न ही उसका जवाब दें।
- OTP, पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी या कोई अन्य गोपनीय/व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत लोगों के साथ शेयर न करें।
- EPFO में पक्का सिलेक्शन या नियुक्ति के वादों से सावधान रहें।
- भर्ती से जुड़े किसी भी मैसेज या जानकारी पर कार्रवाई करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच कर लें।

घोषाघड़ी वाले किसी भी संदिग्ध कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखा जा सकता है और इसकी सूचना संबंधित कानून लागू करने वाली अथॉरिटी को दी जा सकती है। घोषाघड़ी वाले कम्युनिकेशन पर भरोसा करने या अनधिकृत व्यक्तियों को किए गए पेमेंट से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए EPFO जिम्मेदार नहीं होगा।

CBC 23109/11/0001/ 2627



Chola
Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रैस्ट, सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032, टी. एन.

ऋण लेने वाले की सूचना

बिक्री सूचना (निजी समझौते द्वारा) [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(5) और 9(1) के साथ पढ़ा जाए।] [सुरक्षा हित का नियम 6 (प्रवर्तन) नियम 2002]

आम जनता को, और विशेष रूप से कॉलम (क) में उल्लिखित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्ति), जिनका विवरण कॉलम (ग) में दिया गया है, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/बंधक है और जिनका कब्जा कॉलम (ग) में वर्णित अनुसार आवस विधमम के अधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) द्वारा ले लिया गया है, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार "जैसा है, "जैसा है वैसा हो" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी: इसके द्वारा उधारकर्ता/गिरवीदार/कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों और संबंधित उधारकर्ता/गिरवीदार (अब दिवंगत) के असाइनियों को सूचित किया जाता है, जैसा कि कॉलम (क) में स्थापित गया है। धारा [नियम 8 (5) और (6) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1)] के तहत बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया चोलामंडलम निवेश एवं वित्त कंपनी लिमिटेड में दिख गए लिंक को देखें।

(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई और एफ)	
स. क्र.	ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं के नाम / बंधककर्ता/ बंधककर्ता/ गारंटर/ गारंटर	ओ/एस बकाया राशि वसूली के लिए (सुरक्षित ऋण)	अचल संपत्ति/प्रतिभूति का विवरण	प्रकार कब्जा	
				आरक्षित मूल्य (रु. में)	
				नीलामी की तिथि	
1.	ऋण खाता. . . (एस.) : HL25HNRR000139250 1. श्रीमान./श्रीमती। मनजी लोधी 2. श्रीमान./श्रीमती। ओमवती क्रम सं.1 और 2 के लिए पता: सीओ कमल सिंह, लोधी हरदली वार्ड, गोटिया, तेह. गोटिया नर्सिंहपुर, हरौल मीर के पास, नर्सिंहपुर, म.प्र.-487 118; इसके अलावा: प्लॉट नं.02, पीएच. नं. 40, एन.बी. 278, कंडेली किसानों वार्ड 07, सिद्धि विनायक परिसर, कंडेली, नर्सिंहपुर, मध्य प्रदेश-487001.	रु. 25,46,578/- (पच्चीस लाख छियासी हजार पांच सौ अठहत्तर मात्र) 13-04-2026 तक	साइट के अनुसार पता :- प्लॉट नंबर 02, पीएच नंबर 40, N.B. 278, कंडेली किसानों वार्ड 07, सिद्धि विनायक परिसर, कंडेली, नर्सिंहपुर, मध्य प्रदेश-487 001. दस्तावेज के अनुसार पता/- मौजा : नर्सिंहपुर, पीएच नंबर 40, N.B. 278, खसरा नंबर 201/1, 206/1, किसानों वार्ड नंबर 07, मीर के पास, नर्सिंहपुर, मध्य प्रदेश, सीमाएं - प्लान / ड्राइ / लेआउट के अनुसार - पूर्व :- प्लॉट नंबर 3, 4, 5; पश्चिम : प्लॉट नंबर 1, दक्षिण : 12 मीटर चौड़ी सड़क; उत्तर :- जमीन मालिक की जमीन। असल साइट के अनुसार : पूर्व : प्लॉट नंबर 3, 4, 5; पश्चिम :- प्लॉट नंबर 1; दक्षिण : 12 मीटर चौड़ी सड़क; उत्तर : खुली जमीन।	भौतिक कब्जा	रु. 17,00,000/- (सहह लाख मात्र) 05.10.2026

* ऋण समझौते के अनुसार लागू होने वाले अतिरिक्त व्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, जो भुगतान की तिथि और/या उसकी वसूली की तिथि तक हुए हों।

दिनांक: 18.09.2026
स्थान: नर्सिंहपुर, मध्यप्रदेश



Chola
Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रैस्ट, सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032, टी. एन.

ई-नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बोली के माध्यम से बिक्री)

सिक्वॉरिटी इंटरनेट (एनफोकस) रूस्स 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत जारी अचल सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री का नोटिस

आम जनता और खास तौर पर कॉलम (A) में बताए गए उधार लेने वालों और गारंटी देने वालों को यह सूचना दी जाती है कि कॉलम (C) में बताई गई अचल संपत्ति जिसे सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चाज किया गया था और जिसका कब्जा कॉलम (D) में बताए अनुसार 'चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उसे नीचे दी गई जानकारी के अनुसार "जैसा है, जहाँ है, "जैसा है, वैसा हो" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। यह सूचना कॉलम (A) में बताए गए उधार लेने वालों/गिरवी रखने वालों/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों और असाइन (संबंधित उधार लेने वालों/गिरवी रखने वालों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके मामले में), जो उनके मामले में (एनफोकस) रूस्स 2002 की धारा 9(1) के तहत दी जा रही है। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया 'चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' (सुरक्षित लेनदार) की वेबसाइट <https://www.cholamandalam.com> और www.auctionfocus.in पर दिए गए लिंक को देखें।

(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई और एफ)	(जी)
स. क्र.	ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं/ बंधक/बंधककर्ताओं/ गारंटर/गारंटरों के नाम	बकाया राशि की वसूली की जानी है (सुरक्षित ऋण)	अचल संपत्ति/प्रतिभूति का विवरण	प्रकार कब्जा	आरक्षित मूल्य (रुपये में)
					बयाना राशि (रुपये में)
1.	ऋण खाता. . . (ओं) . HL29JAB000130736 1. श्रीमान/सुश्री पुष्येद तिवारी 2. श्रीमान/सुश्री प्रियंका तिवारी 3. श्री/सुश्री. सविधा तिवारी 4. श्री/सुश्री. रामायण तिवारी, क्र. 1, 2, 3 और 4 के लिए पता: पृष्ठ 309 एम्पीबी की कॉलोनी के पिचे, बगरी जंगल हरदुली, एच 309 एम्पीबी की कॉलोनी के पिचे, जलकपुर, म.प्र.- 482056 क्र.1, 2, 3 और के लिए पता: 4। सं. 52, नया ख.52/2, निजी प्लॉट 44, एन.बी. 399, पी.एच. क्र.28/33 नया 7, वीर दुर्गावर्मा राठोड़ वार्ड 71, मी राँवा कल्याणी, रमनगरा, जलकपुर, जलकपुर, म.प्र., 482003	रु. 30,93,771/- (तीस लाख तेरानवे हजार सात सौ इकठ्ठर मात्र) 13-04-2026 तक	मौजा रामनगर में स्थित जमीन का वह टुकड़ा, जिसका खसरा नंबर 52 (नया खसरा नंबर 52/2), प्राइवेट प्लॉट 44, N.B. 39, P.H.N. 28/33, नया 07, वीर दुर्गावर्मा राठोड़ वार्ड 71, मी राँवा कल्याणी, रामनगर है। इसका प्लॉट एरिया 1350 वर्ग फीट (125.46 वर्ग मीटर) और कंस्ट्रक्शन एरिया 1350 वर्ग फीट (125.46 वर्ग मीटर) है। यह मध्य प्रदेश राज्य के जलकपुर में स्थित है और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं - पूर्व में सड़क, पश्चिम में बटिया जी की जमीन, उत्तर में प्लॉट नंबर 43, दक्षिण में प्लॉट नंबर 45। वास्तविक सीमाओं के अनुसार - पूर्व में 20 फीट कच्ची सड़क, पश्चिम में खुली जमीन, उत्तर में चौथे जी का चार, दक्षिण में खुली जमीन।	भौतिक कब्जा	रु. 41,91,750/- (चालीसलाख लाख इक्क्यानवे हजार सात सौ पचास मात्र) रु. 4,19,175/- (चार लाख उन्नीस हजार एक सौ चित्तरत्न मात्र)

निरीक्षण की तिथि एवं समय:- 06.10.2026, सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच।

बिड / EMD / भाग लेने के लिए अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07.10.2026 को शाम 5.00 बजे तक है।

* लोन एप्रोपेट के अनुसार लागू अतिरिक्त व्याज, साथ ही पेमेंट और वा वसूली की तारीख तक हुए अन्य खर्च, लागत, शुल्क आदि भी शामिल हैं। प्राप्ति के निरीक्षण, बोली (बिड) डॉक्यूमेंट प्राप्त करने या किसी अन्य सवाल के लिए, कृपया इनसे संपर्क करें: 1. अंकुश विवरकाम, संपर्क नंबर 9752712456 और ईमेल: ankushh@chola.munugappa.com, 2. विनय सखरे, मोबाइल नंबर 9737317135 और ईमेल: vinaysb@chola.munugappa.com, 3. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारी हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की जानकारी और सवाल के अनुसार, ऊपर बताई गई अचल संपत्ति/सुरक्षित एसेट्स पर कोई कानूनी बोझ या दावा नहीं है।

दिनांक: 18.09.2026
स्थान: जबलपुर, मध्यप्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड